**भारत सरकार**
**मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय**
**पशुपालन और डेयरी विभाग**
**लोकसभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या-2654**
**दिनांक 05 अगस्त, 2025 के लिए प्रश्न**

**पशुपालकों, डेयरी उत्पादकों और मछुआरों के लिए सहायक योजनाएँ**

**2654. श्रीमती गनीबेन नागाजी ठाकोर:**

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा देश में पशुपालकों, डेयरी उत्पादकों और मछुआरों को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ) और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) जैसी योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार उक्त क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ाने और घाटे को कम करने के लिए वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण या बीमा प्रदान कर रही है; और

(घ) यदि हाँ, तो विगत दो वर्षों के दौरान प्रमुख योजनाओं के अंतर्गत आवंटित धनराशि और लाभार्थियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**
**मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री**
**(प्रो. एस.पी. सिंह बघेल)**

(क) और (ख) जी हां, केन्द्र सरकार देश भर में उत्पादकता को बढ़ावा देने, सतत विकास सुनिश्चित करने और पशुपालन, डेयरी तथा मत्स्यपालन क्षेत्रों में शामिल लोगों की आजीविका को बढ़ाने के उद्देश्य से पशुधन किसानों, डेयरी उत्पादकों और मत्स्यपालकों की सहायता करने के लिए राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM), पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF), राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM), पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम (LHDCP), राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD), प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PM-MSY), प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना (PM-MKSSY), मत्स्यपालन और जलीय कृषि तथा अवसंरचना विकास निधि (AHIDF) जैसे कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रही है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:

(i) **राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM):** पुनर्गठित राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM), वर्ष 2021-22 में शुरू किया गया। यह योजना रोजगार सृजन, उद्यमिता विकास और प्रति-पशु उत्पादकता बढ़ाने पर केंद्रित है, और इस प्रकार विकास कार्यक्रम के अंतर्गत मांस, बकरी के दूध, अंडे और ऊन के उत्पादन में वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। दिनांक 21 फरवरी 2024 को इस योजना में और संशोधन किया गया, जिसमें ऊँटों, घोड़ों और गधों के नस्ल-उन्नयन के साथ-साथ बंजर भूमि, चरागाह भूमि और अवक्रमित वन भूमि का उपयोग करके चारा उत्पादन की पहल को भी शामिल किया गया।

इस योजना के निम्नलिखित तीन उप-मिशन हैं:

**(i) पशुधन और पोल्ट्री के नस्ल विकास संबंधी उप-मिशन:** यह उप-मिशन पोल्ट्री, भेड़, बकरी और सूअर पालन जैसे क्षेत्रों में उद्यमिता विकास और नस्ल सुधार पर जोर देता है। इसका उद्देश्य उद्यमिता पहल के लिए व्यक्तियों, किसान उत्पादक संगठनों (FPO), किसान सहकारी संगठनों (FCO), संयुक्त देयता समूहों (JLG), स्वयं सहायता समूहों (SHG) और कंपनी अधिनियम के तहत धारा 8 कंपनियों को प्रोत्साहित करना है। इसके अतिरिक्त, यह नस्ल सुधार के लिए अवसंरचना की स्थापना में राज्य सरकारों का समर्थन करता है। भारत सरकार पोल्ट्री, भेड़, बकरी, सूअर पालन तथा ऊंट, घोड़े और गधे की नस्लों पर केंद्रित इकाइयों की स्थापना के लिए प्रत्येक कार्यकलाप के लिए फार्म की श्रेणी और सब्सिडी सीमा के आधार पर 50 लाख रुपये तक की 50% सब्सिडी प्रदान करती है। यह सहायता राज्य सरकारों को प्रदान की जाती है।

**(ii) आहार एवं चारा विकास संबंधी उप-मिशन:** यह उप-मिशन चारा उत्पादन के लिए आवश्यक प्रमाणित चारा बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु चारा बीज आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ाने पर केंद्रित है। यह चारा ब्लॉक, हे बेलिंग)hey baling(

और साइलेज बनाने वाली इकाइयों की स्थापना का समर्थन करके उद्यमिता को बढ़ावा देता है, साथ ही बंजर भूमि, अवक्रमित वन भूमि और इसी तरह के क्षेत्रों में चारा उत्पादन को प्रोत्साहित करता है। विभिन्न प्रकार के बीजों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन दिए जाते हैं: प्रजनक बीजों के लिए 250 रुपये/किग्रा, आधार बीजों के लिए 150 रुपये/किग्रा, और प्रमाणित बीजों के लिए 100 रुपये/किग्रा।

**(iii) नवाचार एवं विस्तार संबंधी उप-मिशन:** इस उप-मिशन का उद्देश्य भेड़, बकरी, सूअर और आहार एवं चारा क्षेत्र से संबंधित अनुसंधान एवं विकास में लगे संस्थानों, विश्वविद्यालयों और संगठनों को प्रोत्साहित करना है। यह विस्तार कार्यकलापों, पशुधन बीमा और नवाचार को भी सहायता प्रदान करता है। इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए अनुप्रयुक्त अनुसंधान करने हेतु केंद्रीय एजेंसियों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) संस्थानों और विश्वविद्यालय फार्मों को सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, यह पशुपालन योजनाओं के लिए जागरूकता अभियान, सेमिनार, सम्मेलन, प्रदर्शन कार्यकलाप और राज्य सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित अन्य सूचना, शिक्षा एवं संचार (IEC) पहलों सहित विस्तार सेवाओं को बढ़ावा देता है।

**(ii) पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF):** पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा 29,110.25 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF) का क्रियान्वयन किया जा रहा है, ताकि व्यक्तिगत उद्यमियों, निजी फर्मों, एमएसएमई, किसान उत्पादक संगठनों (FPO), धारा 8 संस्थाओं और डेयरी सहकारी समितियों से निवेश को प्रोत्साहित किया जा सके जिससे: (i) डेयरी प्रसंस्करण और मूल्य वर्धन सुविधाएं, (ii) मांस प्रसंस्करण और मूल्य वर्धन इकाइयां, (iii) पशु चारा विनिर्माण संयंत्र, (iv) गोपशु/भैंस/भेड़/बकरी/सुअर के लिए नस्ल संवर्धन तकनीक और नस्ल वृद्धि फार्म, (v) पशु चिकित्सा टीका और दवा उत्पादन केंद्र, (vi) पशु अपशिष्ट प्रबंधन समाधान (कृषि-अपशिष्ट प्रबंधन), और (vii) ऊन प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना की जा सके।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत, पशुपालन और डेयरी विभाग, पात्र संस्थाओं को, जो किसी भी अनुसूचित बैंक/नाबार्ड/एनसीडीसी/एनडीडीबी/सिडबी से परियोजना की लागत के 90% तक का सावधि ऋण प्राप्त कर सकती हैं, 8 वर्षों तक 3% ब्याज सबवेंशन प्रदान करता है, जिसमें ऋण की कोई सीमा नहीं है। इस कार्यक्रम के माध्यम से, एनएबी संरक्षण ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर बनाया गया एक ऋण गारंटी कोष (750.00 करोड़ रुपये) , एमएसएमई के लिए सावधि ऋणों पर 25% गारंटी प्रदान कर रहा है। व्यापार सुगमता (each of doing business) और पारदर्शी व्यवस्था बनाए रखने के लिए, आवेदन से लेकर संवितरण तक के लिए एक वेब पोर्टल (ahidf.udyamimitra.in) तैयार किया गया है।

(**iii) राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM):** भारत सरकार दिसंबर 2014 से देशी नस्लों के विकास एवं संरक्षण, बोवाईन आबादी के आनुवंशिक उन्नयन और बोवाईनों के दुग्ध उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करते हुए दुग्ध उत्पादन को किसानों के लिए और लाभकारी बनाने हेतु आरजीएम का कार्यान्वयन कर रहा है।

देशी नस्लों के विकास और संरक्षण के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत उठाए गए कदम `निम्नलिखित हैं:

i. राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम: इस कार्यक्रम का उद्देश्य कृत्रिम गर्भाधान कवरेज को बढ़ाना और देशी नस्लों सहित उच्च आनुवंशिक गुणता वाले सांडों के सीमन के साथ किसानों के द्वार पर गुणवत्तापूर्ण कृत्रिम गर्भाधान सेवाएं (AI) प्रदान करना है। कार्यक्रम की प्रगति को वास्तविक समय के आधार पर भारत पशुधन/एनडीएलएम (राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन) पर ऑनलाइन अपलोड किया गया है तथा कृत्रिम गर्भाधान और कार्यक्रम से लाभान्वित किसान की पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है। आज की स्थिति तक 9.16 करोड़ पशुओं को कवर किया गया है, 14.12 करोड़ कृत्रिम गर्भाधान किए गए हैं और कार्यक्रम के तहत 5.54 करोड़ किसान लाभान्वित हुए हैं। उत्पादकता में वृद्धि के साथ भाग लेने वाले किसानों की आय में वृद्धि होने की उम्मीद है।

ii. सेक्स सॉर्टेड सीमन: देश में 90% सटीकता के साथ केवल बछड़ियों के उत्पादन के लिए सेक्स सॉर्टेड सीमन उत्पादन शुरू किया गया है। सेक्स सॉर्टेड सीमन का उपयोग न केवल दूध उत्पादन को बढ़ाने बल्कि आवारा गोपशुओं की आबादी को सीमित करने में भी गेम चेंजर है। भारत में पहली बार, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत स्थापित सुविधाओं ने देशी गोपशुओं की नस्लों के सेक्स सॉर्टेड सीमन का सफलतापूर्वक उत्पादन किया है। ये सुविधाएं गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में स्थित पांच सरकारी सीमन स्टेशनों पर स्थापित की गई हैं। इसके अतिरिक्त, तीन निजी सीमन स्टेशन भी सेक्स सॉर्टेड सीमन खुराक के उत्पादन में योगदान दे रहे हैं। अब तक, उच्च आनुवंशिक गुणता वाले सांडों का उपयोग करके 1.25 करोड़ सेक्स सॉर्टेड सीमन खुराक का उत्पादन किया गया है।

   सेक्स सॉर्टेड सीमन का उपयोग करते हुए त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम: इस कार्यक्रम के अंतर्गत देशी नस्लों के सेक्स सॉर्टेड सीमन को बढ़ावा दिया जाता है। इस घटक के अंतर्गत सुनिश्चित गर्भधारण पर सेक्स सॉर्टेड सीमन की लागत का 50% तक प्रोत्साहन किसानों को उपलब्ध कराया जाता है।

देशी रूप से विकसित सेक्स सॉर्टेड सीमन उत्पादन तकनीक का शुभारंभ: देशी रूप से विकसित सेक्स सॉर्टेड सीमन उत्पादन तकनीक का शुभारंभ किया गया है और इस तकनीक से सेक्स सॉर्टेड सीमन की लागत 800 रुपये से घटकर 250 रुपये प्रति खुराक हो गई है। यह तकनीक हमारे किसानों के लिए गेम चेंजर है क्योंकि सेक्स सॉर्टेड सीमन उचित दरों पर उपलब्ध है। देशी सेक्स सॉर्टेड सीमन उत्पादन तकनीक देश में देशी मादा गोपशुओं की आबादी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

iii. ग्रामीण भारत में बहुउद्देश्यीय कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन (मैत्री): मैत्री को किसानों के द्वार पर गुणवत्तापूर्ण कृत्रिम गर्भाधान सेवाएँ प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित और सुसज्जित किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण के लिए 31,000 रुपये और उपकरणों के लिए 50,000 रुपये की सहायता उपलब्ध कराई जाती है। अब तक, 38,736 मैत्री प्रशिक्षित और नियुक्त किए जा चुके हैं। मैत्री की स्थापना के साथ, किसानों के द्वार पर कृत्रिम गर्भाधान कवरेज उपलब्ध है।

iv. इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF) तकनीक का कार्यान्वयन: देश में पहली बार, देशी नस्लों के विकास और संरक्षण के लिए बोवाईन आईवीएफ तकनीक को बढ़ावा दिया गया है। विभाग ने देश में देशी नस्लों को बढ़ावा देने के लिए 23 आईवीएफ प्रयोगशालाएँ स्थापित की हैं। इन प्रयोगशालाओं से 26999 व्यवहार्य भ्रूण तैयार किए गए हैं और इनमें से 15005 भ्रूण हस्तांतरित किए गए हैं तथा 2366 बछड़े और बछड़ियों का जन्म हुआ है।
किसानों के द्वार तक तकनीक पहुँचाने के लिए आईवीएफ तकनीक का उपयोग करते हुए त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस घटक के अंतर्गत किसानों को 5000 रुपये प्रति सुनिश्चित गर्भावस्था की दर से प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जाती है। कार्यक्रम के तहत देशी नस्लों के विकास को बढ़ावा दिया जाता है। कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक 6637 भ्रूण हस्तांतरित किए गए, 1247 गर्भधान स्थापित किए गए और 731 मादाओं सहित 785 बछड़े और बछड़ियों का जन्म हुआ।

देशी कल्चर मीडिया का शुभारंभ: देश में आईवीएफ तकनीक को और बढ़ावा देने के लिए इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF) के लिए देशी मीडिया का शुभारंभ किया गया है। यह देशी मीडिया, महंगे आयातित मीडिया का एक किफ़ायती विकल्प प्रदान करता है। इस मीडिया के उपयोग से भ्रूण उत्पादन की लागत 5000 रुपये से घटकर 2000 रुपये प्रति भ्रूण हो जाती है।

v. संतति परीक्षण एवं नस्ल चयन कार्यक्रम: इस कार्यक्रम का उद्देश्य उच्च आनुवंशिक गुणता वाले सांडों का उत्पादन करना है, जिनमें देशी नस्लों के सांड भी शामिल हैं। गिर, साहीवाल नस्ल के गोपशुओं और मुर्रा, मेहसाणा नस्ल की भैंसों के लिए संतति परीक्षण किया जाता है। नस्ल चयन कार्यक्रम के अंतर्गत राठी, थारपारकर, हरियाना, कांकरेज नस्ल के गोपशुओं और जाफराबादी, नीली रावी, पंढरपुरी और बन्नी नस्ल की भैंसों को शामिल किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत उत्पादित देशी नस्लों के रोगमुक्त उच्च आनुवंशिक गुणता वाले सांड देश भर के सीमन केंद्रों को उपलब्ध कराए जाते हैं। अब तक 4243 उच्च आनुवंशिक गुणता वाले सांडों का उत्पादन किया जा चुका है और उन्हें वीर्य उत्पादन के लिए सीमन केंद्रों को उपलब्ध कराया गया है।

vi. देशी नस्लों के सीमन सहित सीमन उत्पादन में गुणात्मक और मात्रात्मक सुधार लाने के लिए सीमन केंद्रों का सुदृढ़ीकरण। अब तक की स्थिति के अनुसार 47 वीर्य केंद्रों के सुदृढ़ीकरण को स्वीकृति दी जा चुकी है।

vii. इस योजना के अंतर्गत, देशी बोवाईन नस्लों के महत्व के बारे में किसानों में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रजनन शिविर, दुग्ध उत्पादन प्रतियोगिता, बछड़ा रैलियाँ, किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेमिनार और कार्यशालाएँ, सम्मेलन आदि आयोजित किए गए हैं।

**(iv) पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम (LHDCP):** पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम (LHDCP) देश की विशाल पशुधन आबादी के स्वास्थ्य की सुरक्षा पर केंद्रित है। दुनिया की सबसे बड़ी पशुधन आबादी में से एक होने के कारण, उनके स्वास्थ्य को बनाए रखना न केवल पशुओं की भलाई के लिए बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था, खाद्य सुरक्षा और लाखों पशुपालकों की आजीविका के लिए भी महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम रोग की रोकथाम, नियंत्रण और प्रबंधन पर जोर देता है, जो पशुपालन क्षेत्र की उत्पादकता और दक्षता में महत्वपूर्ण योगदान देता है। भारत सरकार के मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD) द्वारा कार्यान्वित, एलएचडीसीपी, एक केंद्र प्रायोजित योजना (CSS) है जिसका उद्देश्य टीकाकरण, उन्नत पशु चिकित्सा सेवाओं, रोग निगरानी में सुधार और बेहतर पशु चिकित्सा अवसंरचना के माध्यम से पशु स्वास्थ्य के लिए जोखिमों को कम करना है।

एलएचडीसीपी में तीन प्रमुख घटक शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण के विशिष्ट पहलुओं को लक्षित करता है:

**क. राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (NADCP):** एनएडीसीपी का उद्देश्य गोपशुओं, भैंसों, भेड़ों, बकरियों और सूअरों में खुरपका-मुँहपका रोग (FMD) को नियंत्रित करना और बाद में उसका उन्मूलन करना है, साथ ही टीकाकरण द्वारा बोवाईन ब्रुसेलोसिस पर भी नियंत्रण करना है। यह कार्यक्रम सामूहिक प्रतिरक्षा विकसित करने और रोग के प्रकोप को कम करने के लिए बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान चलाता है।

**ख. पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण (LH एंड DC):** एलएचएंडडीसी का उद्देश्य रोगनिरोधी टीकाकरण, क्षमता निर्माण, रोग निगरानी और पशु चिकित्सा अवसंरचना को सुदृढ़ करके आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण, जूनोटिक, विदेशी और आकस्मिक रोगों पर नियंत्रण करके पशु स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार करना है। एलएचएंडडीसी में तीन उप-घटक शामिल हैं, जो इस प्रकार हैं:

**(i) महत्वपूर्ण पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (CADCP):** महत्वपूर्ण पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (CADCP) का उद्देश्य टीकाकरण के साथ भेड़ और बकरियों में पेस्ट डेस पेटिट्स रूमिनेंट्स (PPR) रोग को नियंत्रित और उन्मूलित करना तथा सूअरों में क्लासिकल स्वाइन फीवर (CSF) रोग को नियंत्रित करना है।

**(ii) पशु चिकित्सा अस्पतालों और औषधालयों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण - मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयाँ (ESVHD-MVU):** ईएसवीएचडी-एमवीयू की परिकल्पना  टोल-फ्री नंबर 1962 के माध्यम से किसानों के द्वार पर पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए की गई है।

**(iii) पशु रोगों के नियंत्रण हेतु राज्यों को सहायता (ASCAD):** एएससीएडी के अंतर्गत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को एनएडीसीपी और सीएडीसीपी के अंतर्गत आने वाले रोगों के अलावा, जूनोटिक, विदेशी, आकस्मिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण रोगों के नियंत्रण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसमें नैदानिक प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण, निगरानी, प्रकोप नियंत्रण और प्रभावित पशुओं को मारने(CULLING) के लिए किसानों को मुआवजा देना शामिल है।

**ग. पशु औषधि :** एलएचडीसीपी के पशु औषधि घटक को प्रधानमंत्री-किसान समृद्धि केंद्रों (PM-KSK) और सहकारी समितियों के माध्यम से एथनो-वेटरनरी दवाओं (EVM) सहित किफायती जेनेरिक पशु चिकित्सा दवाओं की उपलब्धता को सुगम बनाने के लिए शामिल किया गया है। इस घटक को औषधि विभाग और सहकारिता मंत्रालय के सहयोग से क्रियान्वित किया जाएगा।

**(v) राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD):** पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD) वर्ष 2014-15 से राजस्थान सहित पूरे देश में "राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD)" योजना का क्रियान्वयन कर रहा है। वर्तमान में**,** एनपीडीडी योजना निम्नलिखित दो घटकों के साथ क्रियान्वित की जा रही है**:**

i. **घटक 'क'** राज्य सहकारी डेयरी परिसंघों/जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघों/एसएचजी/दुग्ध उत्पादक कंपनियों/किसान उत्पादक संगठनों के लिए गुणवत्तायुक्त दूध परीक्षण उपकरणों के साथ-साथ प्राथमिक शीतलन सुविधाओं हेतु अवसंरचना के सृजन/सुदृढ़ीकरण पर केंद्रित है।

ii. एनपीडीडी योजना के **घटक 'ख'** "सहकारिता के माध्यम से डेयरी" जेआईसीए (JICA) सहायता प्राप्त परियोजना का उद्देश्य संगठित बाजार तक किसानों की पहुंच बढ़ाकर**,** डेयरी प्रसंस्करण सुविधाओं और विपणन अवसंरचना को उन्नत करके और उत्पादक स्वामित्व वाली संस्थाओं की क्षमता में वृद्धि करके दूध और डेयरी उत्पादों की बिक्री में वृद्धि करना है। डीटीसी 1568.28 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ शुरू हुआ **(**जेआईसीए ऋण घटक 924.56 करोड़ रुपये**,** सरकार का हिस्सा 475.54 करोड़ रुपये और सहकारी**/**उत्पादक कंपनी का हिस्सा 168.18 करोड़ रुपये**)**।

**(vi) डेयरी कार्यकलापों में लगी डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों को सहायता (SDCFPO):** राज्य डेयरी सहकारी परिसंघों को गंभीर रूप से प्रतिकूल बाजार स्थितियों या प्राकृतिक आपदाओं के कारण उत्पन्न संकट से निपटने के लिए सुलभ कार्यशील पूंजीगत ऋण के संबंध में ब्याज सबवेंशन  (नियमित 2% और शीघ्र भीगतान पर अतिरिक्त 2%**)** प्रदान करके सहायता देना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 500 करोड़ रुपये यानी प्रत्येक वर्ष 100 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक अम्ब्रेला योजना "अवसंरचना विकास निधि" के एक भाग के रूप में डेयरी कार्यकलापों में लगी डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों (SDCFPO) को सहायता प्रदान करने वाली केंद्रीय क्षेत्र योजना के कार्यान्वयन को अनुमोदित किया है। इसके अलावा**,** दिनांक 01.02.2024 के कैबिनेट निर्णय के अनुसार**,** यह अनुमोदित किया गया है कि एसडीसीएफपीओ का कार्यान्वयन अनुमोदित परिव्यय (अर्थात वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक  500 करोड़ रुपये) के भीतर अवसंरचना विकास निधि (IDF) के एक घटक के रूप में जारी रहेगा।

**(vii) प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY):** यह सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 20,050 करोड़ रुपये के निवेश के साथ देश में मत्स्यपालन क्षेत्र के सतत और जिम्मेदार विकास तथा मछुआरों के कल्याण के माध्यम से नीली क्रांति लाने के लिए मई 2020 में शुरू की गई एक प्रमुख योजना है। पीएमएमएसवाई का उद्देश्य मछली उत्पादन को बढ़ाना, रोजगार के

अवसर पैदा करना और मत्स्यपालन क्षेत्र का सतत विकास सुनिश्चित करना है। इस योजना में केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित दोनों घटकों के साथ अंतर्देशीय और समुद्री मत्स्यपालन, जलीय कृषि, पोस्ट हार्वेस्ट अवसंरचना और विपणन को शामिल किया गया है। मछुआरों, मत्स्य किसानों, उद्यमियों, एसएचजी, एफपीओ आदि को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पीएमएमएसवाई के तहत विभिन्न उप-योजनाएँ इस प्रकार हैं:

**(क) प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना (PMMKSSY)** : यह पीएमएमएसवाई के तहत एक केंद्रीय क्षेत्र की उप-योजना है जो वित्तीय वर्ष 2023-24 से वर्ष 2026-27 तक 6,000 करोड़ रुपये की नियोजित निधि के साथ चल रही है।

**(vii) मत्स्यपालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास निधि (FIDF):** मत्स्यपालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास निधि (FIDF) को वर्ष 2018-19 से 7522.48 करोड़ रुपये के आकार की कुल निधि के साथ कार्यान्वित किया जा रहा है। एफआईडीएफ, *अन्य बातों के साथ-साथ,* राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों, राज्य संस्थाओं और अन्य हितधारकों सहित पात्र संस्थाओं (EE) को चिन्हित मत्स्यपालन अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए विभिन्न मत्स्यपालन अवसंरचना सुविधाओं के विकास हेतु रियायती वित्त प्रदान करता है। एफआईडीएफ के तहत, मत्स्यपालन विभाग, एनएलई (NLE) द्वारा रियायती वित्त प्रदान करने के लिए 3% प्रति वर्ष तक ब्याज सबवेंशन प्रदान करता है, जिसकी ब्याज दर 5% प्रति वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

(ग) जी हाँ। नवाचार एवं विस्तार संबंधी उप-मिशन विस्तार प्रयासों, पशुधन बीमा और नवाचार पहलों हेतु सहायता करता है। इस क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु अनुप्रयुक्त अनुसंधान करने हेतु केंद्रीय एजेंसियों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) संस्थानों और विश्वविद्यालय फार्मों को सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, यह पशुपालन कार्यक्रमों के लिए जागरूकता अभियानों, संगोष्ठियों, सम्मेलनों, प्रदर्शन कार्यकलापों और राज्य सरकारों द्वारा किए गए अन्य सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) प्रयासों सहित विस्तार सेवाओं को प्रोत्साहित करता है। बीमित पशुओं और जारी की गई निधि का विवरण राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत पशुधन बीमा के तहत अनुबंध I में दिया गया है।

पीएमएमएसवाई *अन्य बातों के साथ-साथ* मछुआरों और मछली श्रमिकों को सामूहिक दुर्घटना बीमा कवरेज के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा उपाय प्रदान करता है, जिसमें समुद्री और अंतर्देशीय मछुआरे तथा संबद्ध मछली श्रमिक दोनों शामिल हैं, जिसमें संपूर्ण बीमा प्रीमियम राशि केंद्र और राज्य के बीच सामान्य राज्यों के लिए 60:40 के अनुपात में, पर्वतीय और उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए 90:10 के अनुपात में साझा की जाती है, जबकि संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में, संपूर्ण प्रीमियम राशि का भुगतान केंद्र द्वारा किया जाता है। पीएमएमएसवाई के तहत प्रदान की गई बीमा कवरेज में (i) मृत्यु या स्थायी पूर्ण दिव्यांगता के लिए 5,00,000 रुपये (ii) स्थायी आंशिक दिव्यांगता के लिए 2,50,000 रुपये और (iii) दुर्घटना की स्थिति में 25,000 रुपये की राशि का अस्पताल में भर्ती होने का खर्च शामिल है। पीएमएमएसवाई के कार्यान्वयन के पिछले तीन वर्षों (वर्ष 2022-23 से 2024-25) के दौरान, केंद्र सरकार ने 103.73 लाख मछुआरों के बीमा कवरेज के लिए 54.03 करोड़ रुपये की राशि जारी की है, जो औसतन 34.57 लाख मछुआरे प्रतिवर्ष है। इसके अलावा, पीएम-एमकेएसएसवाई जलीय कृषि किसानों को 4 हेक्टेयर जल प्रसार क्षेत्र तक के फार्म आकार के साथ बीमा की खरीद के लिए एकमुश्त प्रोत्साहन प्रदान करता है। 'एकमुश्त प्रोत्साहन' जलीय कृषि फार्म के प्रति हेक्टेयर जल प्रसार क्षेत्र के 25000 रुपये की सीमा के अधीन प्रीमियम की लागत के 40% की दर से प्रदान किया जाता है। एकल किसान को देय अधिकतम प्रोत्साहन 4 हेक्टेयर जल प्रसार क्षेत्र के फार्म आकार तक 100,000 रूपये है। फार्मों के अलावा सघन जलकृषि जैसे पिंजरा पालन, परिसंचारी जलीय कृषि प्रणाली (RAS), बायो-फ्लेक, रेसवे इत्यादि के लिए देय प्रोत्साहन, प्रीमियम का 40% है। अधिकतम देय प्रोत्साहन राशि 1 लाख रुपये है और अधिकतम पात्र इकाई आकार 1800 घन मीटर है। 'एकमुश्त प्रोत्साहन' का उपरोक्त लाभ केवल एक फसल अर्थात एक फसल चक्र के लिए खरीदे गए जलीय कृषि बीमा के लिए ही प्रदान किया जाता है।

मत्स्यपालन विभाग विभिन्न हितधारकों, विशेष रूप से मछुआरों, मत्स्य कृषकों, मत्स्य श्रमिकों, मत्स्य विक्रेताओं, उद्यमियों, अधिकारियों, मत्स्य सहकारी समितियों और मत्स्य कृषक उत्पादक संगठनों (FFPO) के सदस्यों को विभिन्न मत्स्य तकनीकों, जलीय कृषि और पोस्ट-हार्वेस्ट सम्बद्ध कार्यकलापों के लिए प्रशिक्षण, जागरूकता कार्यक्रमों और अनुभव दौरों (exposure) के माध्यम से प्रशिक्षण, कौशल विकास, कौशल उन्नयन तथा क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान देता है। प्रशिक्षण, जागरूकता, अनुभव दौरों (exposure) और क्षमता निर्माण कार्यक्रम राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (NFDB), ICAR संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों (KVK), अन्य संगठनों और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र मत्स्यपालन विभागों के माध्यम से संचालित किए जाते हैं। पिछले दो वर्षों के दौरान PMMSY के अंतर्गत जारी केंद्रीय निधियों का राज्यवार विवरण अनुबंध में दिया गया है।

(घ) पिछले दो वर्षों के दौरान प्रमुख योजनाओं के अंतर्गत आवंटित निधि और कवर किए गए लाभार्थियों का राज्य-वार विवरण संलग्न अनुबंध में दिया गया है। आँकड़ों में वर्ष-वार और राज्य-वार विवरण शामिल हैं:

- वित्तीय वर्ष 2023-24 और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM) योजना के पशुधन बीमा कार्यकलाप के अंतर्गत जारी की गई निधि और बीमित पशुओं का राज्यवार विवरण अनुबंध I में दिया गया है।

- वित्तीय वर्ष 2023-24 और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM) योजना के राष्ट्रीय पशुधन मिशन-उद्यमिता विकास (NLM-EDP) के अंतर्गत वास्तविक और वित्तीय प्रगति का राज्यवार विवरण अनुबंध-II में दिया गया है।
- वित्त वर्ष 2023-24 से 2024-25 के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं और पशुपालन अवसंरचना विकास (एएचआईडीएफ) के लिए जारी ब्याज सबवेंशन  का राज्यवार विवरण अनुबंध-III में दिया गया है।
- राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम में राज्यवार उपलब्धियाँ अनुबंध-IV में दी गई हैं।
- पिछले 2 वर्षों के दौरान राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत जारी निधि अनुबंध-V में दी गई है।
- वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2024-25 के दौरान पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एलएचडीसीपी) के अंतर्गत जारी निधि अनुबंध-VI में दी गई है।
- जून 2025 तक कार्यशील मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों की संख्या और लाभान्वित किसानों की संख्या का राज्यवार विवरण अनुबंध-VII में दिया गया है।
- खुरपका-मुँहपका रोग (FMD), ब्रुसेलोसिस, क्लासिकल स्वाइन फीवर (CSF) और पेस्ट डेस पेटिट्स रूमिनेंट्स (PPR) के लिए किए गए टीकाकरण और लाभान्वित किसानों का राज्यवार विवरण अनुबंध VIII में दिया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2024-25 के दौरान पीएमएमएसवाई के तहत जारी निधि का राज्यवार विवरण अनुबंध IX में दिया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2024-25 के दौरान एनपीडीडी योजना के "घटक क " के तहत जारी राज्यवार निधि अनुबंध X में दी गई है।
- वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2024-25 के दौरान एसडीसीएफपीओ (कार्यशील पूंजी पर ब्याज सबवेंशन) की राज्यवार प्रगति अनुबंध XI में दी गई है।

*****

अनुबंध-I
लोकसभा प्रश्न सं. 2654
संसद सदस्य का नामः श्रीमती गनीबेन नागाजी ठाकोर
उत्तर देने की तिथि: 05.08.2025

वित्तीय वर्ष 2023-24 और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM) योजना के पशुधन बीमा कार्यकलाप के अंतर्गत जारी निधि और बीमित पशुओं का राज्यवार विवरण निम्नानुसार है:

| **राज्य/संघ राज्य क्षेत्र** | **बीमा पशु (सं. में)** | | **जारी की गई निधि (लाख रुपये में)** | |
|---|---|---|---|---|
| | **वर्ष 2023-24** | **वर्ष 2024-25** | **वर्ष 2023-24** | **वर्ष 2024-25** |
| अंडमान और निकोबार | 0 | 0 | 0 | 0 |
| आंध्र प्रदेश | 283258 | 140584 | 708.55 | 391.5 |
| अरुणाचल प्रदेश | 0 | 0 | 0 | 9.73 |
| असम | 0 | 530 | 0 | 0 |
| बिहार | 0 | 0 | 0 | 0 |
| चंडीगढ़ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| छत्तीसगढ | 0 | 10236 | 12.3 | 50 |
| दिल्ली | 0 | 0 | 0 | 0 |
| दमन दीव और दादरा नगर हवेली | 0 | 0 | 0 | 0 |
| गोवा | 99 | 47 | 0 | 0 |
| गुजरात | 0 | 248000 | 155 | 100 |
| हरियाणा | 317708 | 456186 | 407.25 | 975 |
| हिमाचल प्रदेश | 4249 | 96660 | 0 | 0 |
| जम्मू और कश्मीर | 19926 | 141501 | 100 | 200 |
| झारखंड | 0 | 45132 | 0 | 0 |
| कर्नाटक | 4450 | 166872 | 200 | 125 |
| केरल | 0 | 55061 | 0 | 50 |
| लद्दाख | 0 | 0 | 0 | 0 |
| लक्षद्वीप | 0 | 0 | 0 | 0 |
| मध्य प्रदेश | 69975 | 105246 | 350 | 250 |
| महाराष्ट्र | 0 | 2840 | 0 | 0 |
| मणिपुर | 0 | 300 | 0 | 0 |
| मेघालय | 0 | 5523 | 0 | 0 |
| मिजोरम | 746 | 0 | 0 | 0 |
| नागालैंड | 0 | 2000 | 0 | 22 |
| ओडिशा | 42945 | 90393 | 0 | 250 |
| पुदुचेरी | 0 | 0 | 0 | 0 |
| पंजाब | 0 | 108659 | 0 | 0 |
| राजस्थान | 8349 | 950 | 0 | 0 |
| सिक्किम | 0 | 2636 | 0 | 51.8 |
| तमिलनाडु | 0 | 167803 | 0 | 150 |
| त्रिपुरा | 0 | 8505 | 0 | 0 |
| तेलंगाना | 0 | 0 | 0 | 0 |
| उत्तराखंड | 126843 | 437838 | 100 | 771 |
| उत्तर प्रदेश | 89084 | 376209 | 196.48 | 305.5 |
| पश्चिम बंगाल | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **कुल** | **967632** | **2669731** | **2229.58** | **3651.53** |

अनुबंध-II
लोकसभा प्रश्न सं. 2654
संसद सदस्य का नामः श्रीमती गनीबेन नागाजी ठाकोर
उत्तर देने की तिथि: 05.08.2025

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM) योजना के राष्ट्रीय पशुधन मिशन-उद्यमिता विकास (NLM-EDP) के अंतर्गत वास्तविक और वित्तीय प्रगति का राज्यवार विवरण निम्नानुसार है:

| **क्र.सं.** | **राज्य** | **वर्ष 2022-23** | | **वर्ष 2023-24** | | **वर्ष 2024-25** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **परियोजनाओं की संख्या** | **जारी की गई सब्सिडी (लाख रुपये में)** | **परियोजनाओं की संख्या** | **जारी की गई सब्सिडी (लाख रुपये में)** | **परियोजनाओं की संख्या** | **जारी की गई सब्सिडी (लाख रुपये में)** |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 40 | 508.35 | 92 | 916.05 | 106 | 1474.95925 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | | | 19 | 42 | 12 | 334.15281 |
| 3 | असम | 3 | 0.00 | 22 | 121.7 | 13 | 238.122885 |
| 4 | बिहार | | | | | 2 | 0 |
| 5 | छत्तीसगढ | 1 | 5.00 | 9 | 0 | 10 | 67.5 |
| 6 | हरियाणा | 1 | 25.00 | 3 | 23.34 | 9 | 0 |
| 7 | गुजरात | | | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | हिमाचल प्रदेश | 2 | 0.00 | 3 | 0 | 4 | 110 |
| 9 | जम्मू और कश्मीर | | | 4 | 50 | 11 | 12.5 |
| 10 | कर्नाटक | 54 | 687.55 | 499 | 3800.2 | 467 | 3376.716595 |
| 11 | केरल | 1 | 0.00 | 7 | 52 | 5 | 65.99925 |
| 12 | झारखंड | | | | | 1 | 0 |
| 13 | मध्य प्रदेश | 59 | 734.70 | 166 | 2253.47 | 161 | 1498.84722 |
| 14 | मणिपुर | | | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | मिजोरम | 11 | 124.60 | 30 | 155 | 33 | 572.30312 |
| 16 | महाराष्ट्र | | | 113 | 648.81 | 202 | 1646.61503 |
| 17 | नागालैंड | 8 | 72.05 | 29 | 57.99 | 34 | 365.2125 |
| 18 | ओडिशा | 2 | 0.00 | | | 1 | 0 |
| 19 | पंजाब | | | 11 | 46.18 | 5 | 92.97981 |
| 20 | राजस्थान | | | 34 | 289.66 | 91 | 507.13932 |
| 21 | सिक्किम | 2 | 24.73 | 2 | 0 | 2 | 25 |
| 22 | तमिलनाडु | 14 | 103.52 | 69 | 411.98 | 59 | 462.35258 |
| 23 | तेलंगाना | 127 | 718.62 | 123 | 2908.93 | 159 | 961.72532 |
| 24 | त्रिपुरा | 3 | 0.00 | 8 | 163.72 | 11 | 65 |
| 25 | उत्तर प्रदेश | 2 | 0.00 | 34 | 359.26 | 109 | 216.98791 |
| 26 | उत्तराखंड | 7 | 44.40 | 24 | 152.13 | 33 | 126.5428 |
| 27 | पश्चिम बंगाल | | | 4 | 0 | 2 | 80 |
| | **कुल योग** | **337** | **3048.52** | **1312** | **12471.93** | **1544** | **12300.6564** |

अनुबंध-III
लोकसभा प्रश्न सं. 2654
संसद सदस्य का नाम: श्रीमती गनीबेन नागाजी ठाकोर
उत्तर देने की तिथि: 05.08.2025

**वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2024-25 के दौरान पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF) के तहत अनुमोदित परियोजनाओं और जारी ब्याज अनुदान का राज्यवार विवरण निम्नानुसार है:**

| क्र.सं | राज्य का नाम | वर्ष 2023-24 | | वर्ष 2024-25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | अनुमोदित परियोजनाएँ | जारी ब्याज सबवेंशन | अनुमोदित परियोजनाएँ | जारी ब्याज सबवेंशन |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 11 | 2.95 | 10 | 2.04 |
| 2 | असम | 4 | 0.9 | 7 | 1.35 |
| 3 | बिहार | 4 | 8.18 | 5 | 3.43 |
| 4 | चंडीगढ़ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | छत्तीसगढ | 4 | 3.33 | 5 | 5.56 |
| 6 | दिल्ली | 0 | 0 | 1 | 0.10 |
| 7 | गोवा | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | गुजरात | 3 | 0.64 | 13 | 17.66 |
| 9 | हरियाणा | 12 | 3.62 | 18 | 8.90 |
| 10 | हिमाचल प्रदेश | 2 | 0.11 | 0 | 0 |
| 11 | जम्मू और कश्मीर | 2 | 0.02 | 2 | 0.09 |
| 12 | झारखंड | 4 | 1.8 | 6 | 3.48 |
| 13 | कर्नाटक | 14 | 7.41 | 15 | 15.25 |
| 14 | केरल | 2 | 0.17 | 2 | 0.20 |
| 15 | मध्य प्रदेश | 10 | 9.37 | 12 | 19.65 |
| 16 | महाराष्ट्र | 30 | 22.31 | 47 | 31.85 |
| 17 | मणिपुर | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | नागालैंड | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ओडिशा | 4 | 0.92 | 12 | 3.91 |
| 20 | पुदुचेरी | 0 | 0 | 1 | 0.13 |
| 21 | पंजाब | 11 | 3.04 | 19 | 9.45 |
| 22 | राजस्थान | 11 | 2.85 | 11 | 4.19 |
| 23 | तमिलनाडु | 18 | 22.79 | 23 | 32 |
| 24 | तेलंगाना | 11 | 9.1 | 13 | 14.86 |
| 25 | त्रिपुरा | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | उत्तर प्रदेश | 11 | 2.73 | 21 | 14.99 |
| 27 | उत्तराखंड | 0 | 0 | 1 | 0.42 |
| 28 | पश्चिम बंगाल | 12 | 5.76 | 21 | 4.18 |
| | **कुल योग** | **180** | **108** | **265** | **193.69** |

अनुबंध-IV

लोकसभा प्रश्न सं. 2654

संसद सदस्य का नाम: श्रीमती गनीबेन नागाजी ठाकोर

उत्तर देने की तिथि: 05.08.2025

**राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम में राज्यवार उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:**

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम | | |
|---|---|---|---|---|
| | | कवर किए गए पशु | किया गया कृत्रिम गर्भाधान | लाभान्वित किसान |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 7271593 | 13534121 | 3385494 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 3896 | 4553 | 1808 |
| 3 | असम | 1728956 | 2259202 | 1469462 |
| 4 | बिहार | 3939394 | 5426332 | 2699120 |
| 5 | छत्तीसगढ | 1899186 | 2555961 | 1136298 |
| 6 | गोवा | 25869 | 43346 | 8741 |
| 7 | गुजरात | 5851560 | 9414998 | 3472009 |
| 8 | हरियाणा | 616051 | 888738 | 447974 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 1826836 | 2984525 | 1333501 |
| 10 | जम्मू और कश्मीर | 2378443 | 4258437 | 1610132 |
| 11 | झारखंड | 2687916 | 3606125 | 1820869 |
| 12 | कर्नाटक | 8316189 | 16365745 | 5213640 |
| 13 | लद्दाख | 7409 | 9374 | 6049 |
| 14 | मध्य प्रदेश | 7897299 | 9691938 | 4677115 |
| 15 | महाराष्ट्र | 5657630 | 7673491 | 3660588 |
| 16 | मणिपुर | 27786 | 32608 | 16248 |
| 17 | मेघालय | 51326 | 85953 | 16630 |
| 18 | मिजोरम | 8712 | 12650 | 3989 |
| 19 | नागालैंड | 41209 | 53282 | 16966 |
| 20 | ओडिशा | 4918641 | 6635012 | 3074382 |
| 21 | पंजाब | 1195739 | 1896192 | 636970 |
| 22 | राजस्थान | 5952426 | 7869493 | 4138417 |
| 23 | सिक्किम | 43868 | 54931 | 33777 |
| 24 | तमिलनाडु | 5043636 | 8532152 | 2338501 |
| 25 | तेलंगाना | 3244563 | 4237569 | 1665755 |
| 26 | त्रिपुरा | 248420 | 333665 | 209181 |
| 27 | उत्तर प्रदेश | 14015463 | 22167599 | 7892528 |
| 28 | उत्तरांचल | 1511187 | 2447353 | 1064152 |
| 29 | पश्चिम बंगाल | 5218518 | 8166218 | 3437398 |
| **कुल** | | **91629721** | **141241563** | **55487694** |

अनुबंध-V
लोकसभा प्रश्न सं. 2654
संसद सदस्य का नाम: श्रीमती गनीबेन नागाजी ठाकोर
उत्तर देने की तिथि: 05.08.2025

**पिछले 2 वर्षों के दौरान आरजीएम (राष्ट्रीय गोकुल मिशन) के अंतर्गत जारी निधियां**

**(लाख रुपये में)**

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/एनडीडीबी | वर्ष 2023-24 | वर्ष 2024-25 |
|---|---|---|---|
| 1 | आंध्र प्रदेश | 3538.38 | 3184.16 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 1965.31 | 0 |
| 3 | असम | 723.25 | 2163.34 |
| 4 | बिहार | 0.00 | 0 |
| 5 | छत्तीसगढ | 0.00 | 0 |
| 6 | गोवा | 0.00 | 0 |
| 7 | गुजरात | 6542.58 | 2071.85 |
| 8 | हरियाणा | 0.00 | 0 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 0.00 | 0 |
| 10 | जम्मू और कश्मीर | 0.00 | 6119.52 |
| 11 | झारखंड | 0.00 | 1500 |
| 12 | कर्नाटक | 2651.31 | 0 |
| 13 | केरल | 6546.27 | 3697.74 |
| 14 | मध्य प्रदेश | 4903 | 0 |
| 15 | महाराष्ट्र | 3261.5 | 1444.56 |
| 16 | मणिपुर | 0.00 | 0 |
| 17 | मेघालय | 0.00 | 0 |
| 18 | मिजोरम | 847.37 | 0 |
| 19 | नागालैंड | 466.2 | 0 |
| 20 | ओडिशा | 0.00 | 1671.06 |
| 21 | पंजाब | 0.00 | 0 |
| 22 | राजस्थान | 250 | 0 |
| 23 | सिक्किम | 1097.87 | 0 |
| 24 | तमिलनाडु | 10996.1 | 0 |
| 25 | तेलंगाना | 3153.13 | 0 |
| 26 | त्रिपुरा | 0.00 | 0 |
| 27 | उत्तर प्रदेश | 9642.18 | 0 |
| 28 | उत्तराखंड | 6083 | 0 |
| 29 | पश्चिम बंगाल | 6500 | 0 |
| 30 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 0 | 0 |
| 31 | चंडीगढ़ | 0 | 0 |
| 32 | दादरा और नगर हवेली | 0 | 0 |
| 33 | दमन और दीव | 0 | 0 |
| 34 | लक्षद्वीप | **0** | **0** |
| 35 | लद्दाख | 0.00 | 42 |
| 36 | पुदुचेरी | 0.00 | 213.41 |
| 37 | एनडीडीबी | 16782.6 | 32256.9 |
| | **कुल** | **85950.05** | **54364.54** |

अनुबंध-VI

लोकसभा प्रश्न सं. 2654

संसद सदस्य का नाम: श्रीमती गनीबेन नागाजी ठाकोर

उत्तर देने की तिथि: 05.08.2025

**वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2024-25 के दौरान पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम (LHDCP) के तहत जारी निधियां निम्नानुसार है:**

**(लाख रुपए में)**

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | वर्ष 2023-24 | वर्ष 2024-25 | कुल |
|---|---|---|---|---|
| 1 | अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह | 0.00 | 84.50 | 84.50 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 8534.26 | 7605.85 | 16140.11 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 621.28 | 654.25 | 1275.53 |
| 4 | असम | 2299.69 | 4696.50 | 6996.19 |
| 5 | बिहार | 266.48 | 5481.63 | 5748.11 |
| 6 | चंडीगढ़ | 2.77 | 7.82 | 10.59 |
| 7 | छत्तीसगढ | 621.51 | 3488.98 | 4110.49 |
| 8 | दादरा और नगर हवेली | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | गोवा | 78.11 | 94.56 | 172.67 |
| 10 | गुजरात | 5.80 | 1558.05 | 1563.85 |
| 11 | हरियाणा | 2203.77 | 5314.55 | 7518.32 |
| 12 | हिमाचल प्रदेश | 236.49 | 1405.67 | 1642.16 |
| 13 | जम्मू और कश्मीर | 1099.81 | 1185.75 | 2285.56 |
| 14 | झारखंड | 850.36 | 1796.97 | 2647.33 |
| 15 | कर्नाटक | 2255.78 | 1900.00 | 4155.78 |
| 16 | केरल | 5038.76 | 4677.62 | 9716.38 |
| 17 | लद्दाख | 383.95 | 883.04 | 1266.99 |
| 18 | लक्षद्वीप | 45.23 | 166.16 | 211.39 |
| 19 | मध्य प्रदेश | 0.00 | 2381.47 | 2381.47 |
| 20 | महाराष्ट्र | 11243.90 | 9232.00 | 20475.90 |
| 21 | मणिपुर | 877.94 | 2518.57 | 3396.51 |
| 22 | मेघालय | 271.32 | 660.01 | 931.33 |
| 23 | मिजोरम | 138.53 | 517.41 | 655.94 |
| 24 | नागालैंड | 268.09 | 340.77 | 608.86 |
| 25 | एनसीटी दिल्ली | 101.13 | 84.51 | 185.64 |
| 26 | ओडिशा | 318.10 | 1240.09 | 1558.19 |
| 27 | पुदुचेरी | 11.48 | 48.52 | 60.00 |
| 28 | पंजाब | 0.00 | 397.93 | 397.93 |
| 29 | राजस्थान | 635.11 | 5968.58 | 6603.69 |
| 30 | सिक्किम | 251.07 | 312.61 | 563.68 |
| 31 | तमिलनाडु | 644.51 | 2259.60 | 2904.11 |
| 32 | तेलंगाना | 0.00 | 400.00 | 400.00 |
| 33 | त्रिपुरा | 59.76 | 573.37 | 633.13 |
| 34 | उत्तर प्रदेश | 19259.84 | 15076.02 | 34335.86 |
| 35 | उत्तराखंड | 1998.69 | 1957.16 | 3955.85 |
| 36 | पश्चिम बंगाल | 3639.00 | 4034.63 | 7673.63 |
| **कुल (राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र)** | | **64262.52** | **89005.15** | **153267.67** |
| **अन्य एजेंसी** | | **39458.02** | **93899.09** | **133357.11** |
| **कुल जारी निधि** | | **103720.54** | **182904.24** | **286624.78** |

अनुबंध-VII
लोकसभा प्रश्न सं. 2654
संसद सदस्य का नाम: श्रीमती गनीबेन नागाजी ठाकोर
उत्तर देने की तिथि: 05.08.2025

**जून 2025 तक प्रचालनरत मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई की संख्या और लाभान्वित किसानों की संख्या का राज्यवार विवरण निम्नानुसार है:**

| क्र.सं. | राज्य | परिचालन में एमवीयू की संख्या | द्वार पर पशु चिकित्सा सेवाएं प्राप्त करने वाले किसानों की संख्या - कुल संचयी |
|---|---|---|---|
| 1 | आंध्र प्रदेश | 340 | 20,49,550 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 25 | 43,318 |
| 3 | असम | 159 | 2,61,511 |
| 4 | बिहार | 307 | 2,33,072 |
| 5 | छत्तीसगढ | 163 | 6,09,605 |
| 6 | दिल्ली | 3 | 187 |
| 7 | गोवा | 2 | 602 |
| 8 | गुजरात | 127 | 4,50,369 |
| 9 | हरियाणा | 70 | 47,903 |
| 10 | हिमाचल प्रदेश | 44 | 17,549 |
| 11 | जम्मू एवं कश्मीर | 50 | 26,737 |
| 12 | झारखंड | 236 | 66,525 |
| 13 | कर्नाटक | 275 | 3,86,714 |
| 14 | केरल | 29 | 22,556 |
| 15 | लद्दाख | 9 | 1,649 |
| 16 | मध्य प्रदेश | 406 | 8,55,434 |
| 17 | महाराष्ट्र | 80 | 1,01,080 |
| 18 | मणिपुर | 33 | 9,127 |
| 19 | मेघालय | 17 | 308 |
| 20 | मिजोरम | 26 | 35,765 |
| 21 | नागालैंड | 16 | 18,347 |
| 22 | पुदुचेरी | 4 | 2,084 |
| 23 | राजस्थान | 536 | 9,05,948 |
| 24 | सिक्किम | 6 | 3,546 |
| 25 | तमिलनाडु | 245 | 3,42,676 |
| 26 | त्रिपुरा | 13 | 5,678 |
| 27 | उत्तर प्रदेश | 520 | 30,40,776 |
| 28 | उत्तराखंड | 60 | 1,42,245 |
| 29 | पश्चिम बंगाल | 218 | 5,489 |
| | **कुल** | **4019** | **96,86,350** |

अनुबंध-VIII

लोकसभा प्रश्न सं. 2654

संसद सदस्य का नाम: श्रीमती गनीबेन नागाजी ठाकोर

उत्तर देने की तिथि: 05.08.2025

**वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान खुरपका-मुंहपका रोग (FMD), ब्रुसेलोसिस, क्लासिकल स्वाइन फीवर (CSF) और पेस्ट डेस पेटिट्स रूमिनेंट्स (PPR) के लिए किए गए टीकाकरण और लाभान्वित किसानों का राज्यवार विवरण निम्नानुसार है:**

एफएमडी टीकाकरण (वित्तीय वर्ष - 2023-2024)

| क्र. सं | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | कुल टीकाकरण | लाभान्वित किसान |
|---|---|---|---|
| 1. | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 5,809 | 1,169 |
| 2. | आंध्र प्रदेश | 1,19,49,049 | 24,26,380 |
| 3. | अरुणाचल प्रदेश | 2,02,084 | 8,061 |
| 4. | असम | 15,46,454 | 6,61,374 |
| 5. | बिहार | 1,67,65,374 | 24,55,939 |
| 6. | चंडीगढ़ | 37,787 | 1,647 |
| 7. | छत्तीसगढ | 79,97,864 | 10,64,049 |
| 8. | दिल्ली | 1,96,511 | 8,998 |
| 9. | गोवा | 80,558 | 4,764 |
| 10. | गुजरात | 2,27,51,547 | 43,73,092 |
| 11. | हरियाणा | 42,03,484 | 37,427 |
| 12. | हिमाचल प्रदेश | 12,82,212 | 4,93,472 |
| 13. | जम्मू और कश्मीर | 35,96,316 | 8,48,638 |
| 14. | झारखंड | 27,60,465 | 10,01,203 |
| 15. | कर्नाटक | 88,98,816 | 34,24,901 |
| 16. | केरल | 7,59,271 | 2,22,468 |
| 17. | लद्दाख | 80,679 | 21,991 |
| 18. | मध्य प्रदेश | 2,01,91,611 | 52,97,777 |
| 19. | महाराष्ट्र | 1,95,29,355 | 39,40,471 |
| 20. | मणिपुर | 50,514 | 23,748 |
| 21. | मेघालय | 2,18,258 | 61,387 |
| 22. | मिजोरम | 6,428 | 840 |
| 23. | नागालैंड | 53,754 | 9,461 |
| 24. | ओडिशा | 1,41,00,590 | 20,22,655 |
| 25. | पुदुचेरी | 79,657 | 9,742 |
| 26. | पंजाब | 52,15,360 | 9,52,180 |
| 27. | राजस्थान | 1,24,81,685 | 25,02,112 |
| 28. | सिक्किम | 7,413 | 5,620 |
| 29. | तमिलनाडु | 86,67,207 | 27,64,639 |
| 30. | तेलंगाना | 68,34,769 | 6,24,791 |
| 31. | दादरा और नगर हवेली | 5,604 | 199 |
| 32. | त्रिपुरा | 91,577 | 27,136 |
| 33. | उत्तर प्रदेश | 1,65,16,570 | 30,37,906 |
| 34. | उत्तराखंड | 27,92,831 | 5,77,430 |
| 35. | पश्चिम बंगाल | 1,22,94,420 | 41,92,619 |
| **कुल** | | **20,22,51,883** | **4,31,06,286** |

एफएमडी टीकाकरण (वित्तीय वर्ष - 2024-2025)

| क्र. सं | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | कुल टीकाकरण | लाभान्वित किसान |
|---|---|---|---|
| 1. | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 15,825 | 1,709 |
| 2. | आंध्र प्रदेश | 1,74,10,019 | 24,05,348 |
| 3. | अरुणाचल प्रदेश | 3,13,003 | 30,112 |
| 4. | असम | 41,98,052 | 16,44,942 |
| 5. | बिहार | 1,93,23,529 | 57,04,307 |
| 6. | चंडीगढ़ | 18,933 | 1,606 |
| 7. | छत्तीसगढ | 1,27,94,096 | 18,02,390 |
| 8. | दिल्ली | 74,832 | 2,954 |
| 9. | गोवा | 40,937 | 4,946 |
| 10. | गुजरात | 2,93,04,997 | 46,81,494 |
| 11. | हरियाणा | 49,50,986 | 13,64,844 |
| 12. | हिमाचल प्रदेश | 22,07,424 | 6,35,664 |
| 13. | जम्मू और कश्मीर | 31,62,538 | 9,65,797 |
| 14. | झारखंड | 36,13,795 | 11,26,283 |
| 15. | कर्नाटक | 1,77,71,760 | 35,97,581 |
| 16. | केरल | 5,01,088 | 1,76,410 |
| 17. | लद्दाख | 62,838 | 23,039 |
| 18. | लक्षद्वीप | 83 | 45 |
| 19. | मध्य प्रदेश | 4,61,38,244 | 56,30,518 |
| 20. | महाराष्ट्र | 3,55,91,090 | 50,66,469 |
| 21. | मणिपुर | 2,14,053 | 30,495 |
| 22. | मेघालय | 2,33,976 | 41,262 |
| 23. | मिजोरम | 11,841 | 2,348 |
| 24. | नागालैंड | 62,129 | 24,083 |
| 25. | ओडिशा | 81,23,060 | 22,23,809 |
| 26. | पुदुचेरी | 70,003 | 13,418 |
| 27. | पंजाब | 1,26,29,671 | 12,42,712 |
| 28. | राजस्थान | 1,60,73,090 | 39,55,650 |
| 29. | सिक्किम | 35,778 | 11,057 |
| 30. | तमिलनाडु | 1,72,13,272 | 23,81,905 |
| 31. | तेलंगाना | 67,96,302 | 11,10,713 |
| 32. | दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव | 16,597 | 3,824 |
| 33. | त्रिपुरा | 2,94,714 | 67,345 |
| 34. | उत्तर प्रदेश | 2,94,54,748 | 60,17,262 |
| 35. | उत्तराखंड | 32,87,220 | 7,47,604 |
| 36. | पश्चिम बंगाल | 2,37,24,354 | 47,69,452 |
| | **कुल** | **31,57,34,877** | **5,75,09,397** |

**ब्रुसेलोसिस टीकाकरण (वित्तीय वर्ष 2023-2024)**

| क्र.स. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | कुल टीकाकरण | लाभान्वित किसान |
|---|---|---|---|
| 1 | आंध्र प्रदेश | 10,32,817 | 5,62,043 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 465 | 88 |
| 3 | असम | 54,989 | 36,145 |
| 4 | बिहार | 10,73,869 | 5,76,648 |
| 5 | चंडीगढ़ | 1,700 | 641 |
| 6 | छत्तीसगढ | 1,49,163 | 89,001 |
| 7 | दिल्ली | 5,755 | 1,154 |
| 8 | गोवा | 164 | 88 |
| 9 | गुजरात | 3,31,546 | 1,79,952 |
| 10 | हरियाणा | 25,813 | 13,522 |
| 11 | हिमाचल प्रदेश | 19,558 | 17,918 |
| 12 | जम्मू और कश्मीर | 33,537 | 28,398 |
| 13 | झारखंड | 9,222 | 4,348 |
| 14 | कर्नाटक | 4,11,423 | 3,29,701 |
| 15 | केरल | 9,423 | 6,629 |
| 16 | लद्दाख | 886 | 682 |
| 17 | मध्य प्रदेश | 1,84,279 | 98,987 |
| 18 | महाराष्ट्र | 10,22,502 | 6,08,095 |
| 19 | मेघालय | 402 | 160 |
| 20 | नागालैंड | 466 | 454 |
| 21 | ओडिशा | 1,33,529 | 96,414 |
| 22 | पुदुचेरी | 163 | 120 |
| 23 | पंजाब | 80,300 | 34,416 |
| 24 | राजस्थान | 2,43,876 | 92,469 |
| 25 | सिक्किम | 6 | 5 |
| 26 | तमिलनाडु | 8,49,937 | 4,38,066 |
| 27 | तेलंगाना | 1,060 | 666 |
| 28 | दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव | 35 | 1 |
| 29 | त्रिपुरा | 2 | 2 |
| 30 | उत्तर प्रदेश | 78,382 | 33,631 |
| 31 | उत्तराखंड | 10,158 | 7,275 |
| 32 | पश्चिम बंगाल | 8,60,444 | 6,23,394 |
| | **कुल** | **66,25,871** | **38,81,113** |

**ब्रुसेलोसिस टीकाकरण (वित्तीय वर्ष 2024-25)**

| क्र.सं. | राज्य | कुल टीकाकरण | लाभान्वित किसान |
|---|---|---|---|
| 1 | आंध्र प्रदेश | 8,54,690 | 4,18,521 |
| 2 | असम | 32,745 | 20,017 |
| 3 | बिहार | 6,18,781 | 2,59,325 |
| 4 | चंडीगढ़ | 1,749 | 594 |
| 5 | छत्तीसगढ | 94,789 | 56,726 |
| 6 | दिल्ली | 10 | 2 |
| 7 | गोवा | 32 | 2 |
| 8 | गुजरात | 3,13,787 | 1,21,109 |
| 9 | हरियाणा | 1,28,432 | 60,369 |
| 10 | हिमाचल प्रदेश | 31,160 | 27,831 |
| 11 | जम्मू और कश्मीर | 51,297 | 39,041 |
| 12 | झारखंड | 34,905 | 15,648 |
| 13 | कर्नाटक | 4,02,846 | 2,86,502 |
| 14 | केरल | 15,268 | 11,386 |
| 15 | लद्दाख | 118 | 115 |
| 16 | मध्य प्रदेश | 20,664 | 11,010 |
| 17 | महाराष्ट्र | 4,24,681 | 1,67,564 |
| 18 | मणिपुर | 11 | 9 |
| 19 | मेघालय | 77 | 34 |
| 20 | नागालैंड | 1 | 1 |
| 21 | ओडिशा | 1,87,252 | 1,15,297 |
| 22 | पंजाब | 68,513 | 11,915 |
| 23 | राजस्थान | 9,99,099 | 3,64,805 |
| 24 | सिक्किम | 61 | 32 |
| 25 | तमिलनाडु | 8,23,017 | 3,20,496 |
| 26 | तेलंगाना | 6,821 | 1,711 |
| 27 | दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव | 3 | 1 |
| 28 | उत्तर प्रदेश | 3,77,046 | 1,39,396 |
| 29 | उत्तराखंड | 65,662 | 45,162 |
| 30 | पश्चिम बंगाल | 70,361 | 43,824 |
| | **कुल** | **56,23,878** | **25,38,445** |

**सीएसएफ टीकाकरण (वित्तीय वर्ष 2023-24)**

| क्र.सं. | राज्य | कुल टीकाकरण | लाभान्वित किसान |
|---|---|---|---|
| 1 | आंध्र प्रदेश | 87,095 | 5,375 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 21,800 | 5,812 |
| 3 | असम | 3,02,608 | 82,529 |
| 4 | बिहार | 2,37,469 | 50,832 |
| 5 | छत्तीसगढ | 3,16,499 | 49,075 |
| 6 | गोवा | 20 | 2 |
| 7 | गुजरात | 2 | 2 |
| 8 | झारखंड | 5,363 | 977 |
| 9 | कर्नाटक | 21,886 | 1,393 |
| 10 | केरल | 6,446 | 106 |
| 11 | मध्य प्रदेश | 61 | 3 |
| 12 | महाराष्ट्र | 12,441 | 549 |
| 13 | मणिपुर | 2,518 | 593 |
| 14 | मेघालय | 32,330 | 7,763 |
| 15 | मिजोरम | 11,848 | 4,784 |
| 16 | नगालैंड | 47,761 | 17,524 |
| 17 | ओडिशा | 1,07,280 | 14,066 |
| 18 | पंजाब | 1,700 | 67 |
| 19 | राजस्थान | 85,193 | 10,692 |
| 20 | सिक्किम | 91 | 29 |
| 21 | त्रिपुरा | 516 | 226 |
| 22 | उत्तर प्रदेश | 3,095 | 433 |
| 23 | उत्तराखंड | 59 | 1 |
| 24 | पश्चिम बंगाल | 2,51,783 | 78,141 |
|  | **कुल** | **15,55,864** | **3,30,974** |

**सीएसएफ टीकाकरण (वित्तीय वर्ष 2024-25)**

| क्र.सं. | राज्य | कुल टीकाकरण | लाभान्वित किसान |
|---|---|---|---|
| 1 | आंध्र प्रदेश | 91,436 | 4,374 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 11,327 | 1,638 |
| 3 | असम | 1,19,136 | 22,997 |
| 4 | बिहार | 27,338 | 4,196 |
| 5 | छत्तीसगढ | 1,68,345 | 23,335 |
| 6 | हरियाणा | 185 | 20 |
| 7 | झारखंड | 5,212 | 1,294 |
| 8 | कर्नाटक | 4,163 | 260 |
| 9 | केरल | 728 | 22 |
| 10 | महाराष्ट्र | 10,200 | 257 |
| 11 | मणिपुर | 1,314 | 293 |
| 12 | मेघालय | 4,291 | 1,201 |
| 13 | मिजोरम | 572 | 154 |
| 14 | नागालैंड | 5,336 | 1,625 |
| 15 | ओडिशा | 56,950 | 6,469 |
| 16 | राजस्थान | 27,281 | 2,287 |
| 17 | सिक्किम | 245 | 107 |
| 18 | तमिलनाडु | 8,867 | 342 |
| 19 | तेलंगाना | 128 | 16 |
| 20 | उत्तर प्रदेश | 1,059 | 82 |
| 21 | उत्तराखंड | 999 | 66 |
| 22 | पश्चिम बंगाल | 1,38,103 | 38,659 |
|  | **कुल** | **6,83,215** | **1,09,694** |

**पीपीआर टीकाकरण (2023-24)**

| क्र.सं. | राज्य | कुल टीकाकरण | लाभान्वित किसान |
|---|---|---|---|
| 1 | आंध्र प्रदेश | 1,75,68,789 | 1,83,328 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 886 | 89 |
| 3 | असम | 256 | 107 |
| 4 | बिहार | 13,95,575 | 1,52,044 |
| 5 | छत्तीसगढ | 12,39,809 | 1,11,098 |
| 6 | गुजरात | 8,17,549 | 55,419 |
| 7 | हरियाणा | 22 | 4 |
| 8 | हिमाचल प्रदेश | 29,223 | 5,138 |
| 9 | जम्मू और कश्मीर | 5,695 | 478 |
| 10 | झारखंड | 158 | 12 |
| 11 | कर्नाटक | 76 | 14 |
| 12 | मध्य प्रदेश | 5,832 | 461 |
| 13 | महाराष्ट्र | 7,65,692 | 63,572 |
| 14 | मणिपुर | 817 | 145 |
| 15 | मेघालय | 57 | 5 |
| 16 | ओडिशा | 46,44,856 | 4,85,442 |
| 17 | पंजाब | 571 | 26 |
| 18 | राजस्थान | 7,923 | 1,622 |
| 19 | सिक्किम | 9 | 4 |
| 20 | तमिलनाडु | 11,629 | 1,240 |
| 21 | तेलंगाना | 1,035 | 12 |
| 22 | उत्तर प्रदेश | 24,141 | 1,572 |
| 23 | उत्तराखंड | 23,545 | 876 |
| 24 | पश्चिम बंगाल | 5,901 | 905 |
| | **कुल** | **2,65,50,046** | **10,63,613** |

**पीपीआर टीकाकरण (2024-25)**

| क्र.सं. | राज्य | कुल टीकाकरण | लाभान्वित किसान |
|---|---|---|---|
| 1 | आंध्र प्रदेश | 1,81,56,748 | 1,69,294 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 7,452 | 763 |
| 3 | असम | 1,43,755 | 31,577 |
| 4 | बिहार | 41,48,565 | 4,20,282 |
| 5 | छत्तीसगढ | 1,45,207 | 14,288 |
| 6 | गुजरात | 4,62,021 | 49,863 |
| 7 | हरियाणा | 1,051 | 51 |
| 8 | हिमाचल प्रदेश | 8,837 | 1,729 |
| 9 | जम्मू और कश्मीर | 2,017 | 159 |
| 10 | झारखंड | 5,146 | 966 |
| 11 | कर्नाटक | 406 | 122 |
| 12 | केरल | 252 | 59 |
| 13 | मध्य प्रदेश | 85,198 | 10,611 |
| 14 | महाराष्ट्र | 5,41,670 | 44,989 |
| 15 | मणिपुर | 9,839 | 1,082 |
| 16 | मेघालय | 975 | 186 |
| 17 | नागालैंड | 33 | 4 |
| 18 | ओडिशा | 28,91,950 | 2,75,715 |
| 19 | पंजाब | 1,18,442 | 5,212 |
| 20 | राजस्थान | 34,591 | 2,364 |
| 21 | सिक्किम | 5,116 | 1,578 |
| 22 | तमिलनाडु | 15,993 | 4,964 |
| 23 | तेलंगाना | 93 | 57 |
| 24 | त्रिपुरा | 1 | 1 |
| 25 | उत्तर प्रदेश | 23,245 | 1,715 |
| 26 | उत्तराखंड | 5,057 | 337 |
| 27 | पश्चिम बंगाल | 22,82,538 | 3,16,807 |
| | **कुल** | **2,90,96,198** | **13,54,775** |

अनुबंध-IX
लोकसभा प्रश्न सं. 2654
संसद सदस्य का नाम: श्रीमती गनीबेन नागाजी ठाकोर
उत्तर देने की तिथि: 05.08.2025

**वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2024-25 के दौरान पीएमएमएसवाई के तहत जारी निधियों का राज्यवार विवरण निम्नानुसार है:**

**(लाखों रुपये में)**

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | वर्ष 2023-24 | वर्ष 2024-25 |
|---|---|---|---|
| 1 | अंडमान और निकोबार | 0.000 | 500.00 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 687.000 | 659.68 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 3566.380 | 3325.12 |
| 4 | असम | 7360.640 | 1028.20 |
| 5 | बिहार | 1573.750 | 865.59 |
| 6 | छत्तीसगढ | 5155.130 | 4048.37 |
| 7 | दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव | 0.000 | 0.00 |
| 8 | दिल्ली | 0.000 | 0.00 |
| 9 | गोवा | 1130.940 | 337.21 |
| 10 | गुजरात | 0.000 | 3742.14 |
| 11 | हरियाणा | 4000.000 | 1984.88 |
| 12 | हिमाचल प्रदेश | 900.000 | 1205.68 |
| 13 | जम्मू  और कश्मीर | 1219.730 | 2239.83 |
| 14 | झारखंड | 854.100 | 1036.98 |
| 15 | कर्नाटक | 2981.360 | 3793.06 |
| 16 | केरल | 7988.250 | 2499.66 |
| 17 | लद्दाख | 216.930 | 502.74 |
| 18 | लक्षद्वीप | 0.000 | 0.00 |
| 19 | मध्य प्रदेश | 5038.410 | 5937.93 |
| 20 | महाराष्ट्र | 9999.670 | 2499.99 |
| 21 | मणिपुर | 1000.000 | 0.00 |
| 22 | मेघालय | 1380.800 | 999.97 |
| 23 | मिजोरम | 1967.760 | 1730.88 |
| 24 | नागालैंड | 1665.630 | 2291.82 |
| 25 | ओडिशा | 3882.000 | 7929.21 |
| 26 | पुदुचेरी | 0.000 | 1390.00 |
| 27 | पंजाब | 1231.490 | 219.65 |
| 28 | राजस्थान | 0.000 | 148.81 |
| 29 | सिक्किम | 1084.510 | 999.80 |
| 30 | तमिलनाडु | 8748.610 | 1671.26 |
| 31 | तेलंगाना | 397.360 | 939.11 |
| 32 | त्रिपुरा | 2144.490 | 931.75 |
| 33 | उत्तर प्रदेश | 3888.620 | 6554.98 |
| 34 | उत्तराखंड | 2553.590 | 3709.89 |
| 35 | पश्चिम बंगाल | 0.000 | 431.73 |
| 36 | अन्य (ट्रांसपोंडर, आदि) | 0.000 | 27940.40 |
| 37 | बीमा कार्यकलाप | 1760.000 | 2450.00 |
| 38 | पीएमएमकेएसएसवाई | 0.000 | 1181.61 |
|  | **कुल क** | **84377.15** | **97727.93** |
| 39 | केंद्रीय क्षेत्र की परियोजनाएं | **5105.073** | **1245.200** |
|  | **कुल क+ख** | **89482.223** | **98973.13** |

**अनुबंध-X**

लोकसभा प्रश्न सं. 2654

संसद सदस्य का नाम: श्रीमती गनीबेन नागाजी ठाकोर

उत्तर देने की तिथि: 05.08.2025

**वित्तीय वर्ष 2023-24 से वर्ष 2024-25 के दौरान एनपीडीडी योजना के "घटक क" के तहत जारी की गई राज्यवार निधियां निम्नानुसार है:**

**(लाख रुपए में)**

| **क्र.सं.** | **राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम** | **2023-24** | **2024-25*** |
|---|---|---|---|
| 1 | आंध्र प्रदेश | 3335.23 | 0.00 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 0.00 | 0.00 |
| 3 | असम | 0.00 | 336.40 |
| 4 | बिहार | 0.00 | 176.34 |
| 5 | छत्तीसगढ | 0.00 | 0.00 |
| 6 | गोवा | 0.00 | 0.00 |
| 7 | गुजरात | 574.05 | 3000.00 |
| 8 | हरियाणा | 0.00 | 0.00 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 250.00 | 300.00 |
| 10 | जम्मू और कश्मीर | 2430.87 | 0.00 |
| 11 | झारखंड | 125.00 | 380.00 |
| 12 | कर्नाटक | 2170.28 | 1515.67 |
| 13 | केरल | 1254.72 | 0.00 |
| 14 | लद्दाख | 0.00 | 50.00 |
| 15 | मध्य प्रदेश | 49.13 | 1671.64 |
| 16 | महाराष्ट्र | 692.15 | 0.00 |
| 17 | मणिपुर | 0.00 | 0.00 |
| 18 | मेघालय | 445.44 | 342.48 |
| 19 | मिजोरम | 0.00 | 0.00 |
| 20 | नागालैंड | 0.00 | 0.00 |
| 21 | ओडिशा | 706.10 | 0.00 |
| 22 | पुदुचेरी | 25.00 | 416.58 |
| 23 | पंजाब | 2090.35 | 1381.10 |
| 24 | राजस्थान | 3758.84 | 1784.46 |
| 25 | सिक्किम | 950.42 | 491.12 |
| 26 | तमिलनाडु | 3853.44 | 3275.16 |
| 27 | तेलंगाना | 151.56 | 151.56 |
| 28 | त्रिपुरा | 604.14 | 30.00 |
| 29 | उत्तर प्रदेश | 97.00 | 447.90 |
| 30 | उत्तराखंड | 650.00 | 759.95 |
| 31 | पश्चिम बंगाल | 0.00 | 0.00 |
| | **कुल योग** | **24213.72** | **16510.36** |

*राज्यों को आवंटित धनराशि

अनुबंध-XI

लोकसभा प्रश्न सं. 2654

संसद सदस्य का नाम: श्रीमती गनीबेन नागाजी ठाकोर

उत्तर देने की तिथि: 05.08.2025

**वर्ष 2023-24 से वर्ष 2024-25 तक के लिए निर्धारित लक्ष्य निम्नानुसार हैं:**

| क्र.सं. | राज्य | वर्ष 2023-24 | वर्ष 2024-25 |
|---|---|---|---|
| 1 | आंध्र प्रदेश | 4.48 | 0.66 |
| 2 | असम | 0.04 | 0.00 |
| 3 | बिहार | 0.54 | 0.00 |
| 4 | गुजरात | 129.90 | 1.49 |
| 5 | हरियाणा | 0.08 | 0.00 |
| 6 | जम्मू और कश्मीर | 0.00 | 0.00 |
| 7 | झारखंड | 0.24 | 0.00 |
| 8 | कर्नाटक | 5.64 | 0.00 |
| 9 | मध्य प्रदेश | 0.35 | 0.00 |
| 10 | महाराष्ट्र | 6.35 | 0.00 |
| 11 | ओडिशा | 0.29 | 0.00 |
| 12 | पंजाब | 1.19 | 0.00 |
| 13 | राजस्थान | 0.71 | 0.00 |
| 14 | तमिलनाडु | 1.75 | 0.00 |
| 15 | तेलंगाना | 0.15 | 0.00 |
| 16 | उत्तर प्रदेश | 0.00 | 0.00 |
| | **कुल** | **151.72** | **2.15** |

*****